संख्या 4120/26-3-81

प्रेषक

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी, 1982

विषय—हरिजन कल्याण की विशष समन्वित परियोजनाओं के लिये चयनित विकास खण्डों को स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्ग दर्शक रूपरखायें।

महोदय,

हरिजन एवं माजकल्याण नुभाग-3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 8866/26-3-81, दिनांक 23 दिसम्बर, 81 के साथ पठित शासनादेश संख्या-8333/26-3-81 दिनांक 13 नवम्बर, 81 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु चयनित विकास खण्डों के लिये स्वीकृत धनराशि के उपयोग में त्वरित गति लाने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि विकास खण्डों को आवंटित धनराशि में से अवशेष धनराशि द्वारा निम्नांकित योजना कार्यान्वित की जाये :

अनसूचित जातियों के कृषक मजदूरों के आर्थिक विकास हेतु कृषि भूमि को क्रय करके उन्हें उपलब्ध कराने की योजना

प्रदेश में अनसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों की संख्या लगभग 42 प्रतिशत है। खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा अपेक्षाकृत अधिक शोचनीय है और उपरोक्त व्यक्तियों की आय अस्थिर एवं पराधीन है। अतः यदि इन व्यक्तियों को कृषि योग्य भमि उपलब्ध करा दी जाये और उन्हें कृषि के लिये आवश्यक कृषि निवेशों की पूर्ति कर दी जाय तो यह उनकी आय में स्थात्वि प्रदान करेगी और वे गरीबी की रेखा के ऊपर आने के लिये सक्षम हो सकेंगे। योजना के रूप रेखा निम्न प्रकार निर्दिष्ट की जाती है :—

लाभार्थियों का चयन—

(क) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषक मजदूर होंगे।

(ख) लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता तथा कृषि कार्य में रुचि के आधार पर जिला समिति द्वारा किया जायगा।

योजना का आकार—

(क) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को लगभग एक एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) भूमि क्रय के लिए प्रति लाभार्थी 5000 रु0 का अनुदान अनुमन्य होगा।

(ग) योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में 2 लाख रु0 तक अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

योजना का कार्यान्वयन और उसकी स्वीकृति—

(क) योजना का कार्यान्वयन अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के माध्यम से किया जायेगा और योजना के कार्यान्वयन में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकार का सहयोग लिया जायेगा।

(ख) योजना की स्वीकृति जिला समिति द्वारा की जायेगी, जो प्रश्नगत धन के व्यय की स्वीकृति हेतु अधिकृत है। योजना के कार्यान्वयन और धन की स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही जिला समिति द्वारा की जाएगी।

भूमि का क्रय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के नाम से किया जाएगा। और भूमि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा दाखिल खारिज कराई जाएगी। अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा भूमि क्रय करके उसे तुरन्त लाभार्थी को आवंटित कर दी जाएगी।

स्थान का चयन—

(क) जहां तक सम्भव हो ऐसी भूमि क्रय की जाएगी जो लाभार्थियों के निवास स्थान से निकट हो।

(ख) यथासम्भव भूमि का एक बड़ा चक क्रय किया जाए ताकि एक स्थान पर उसे अधिक से अधिक संख्या में अनुसुचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित किया जा सके। इसका यह लाभ होगा कि आवंटियों को भूमि पर कब्जा करने में आसानी होगी और आवंटियों को सामूहिक कृषि विकास की योजनाओं से भी लाभान्वित कराने में सुविधा होगी।

धन का रख रखाव

भूमि क्रय के साथ ही अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा व्यय का लेखा-जोखा प्रथक रखा जाए ।

लाभार्थियों को दी जाने वाली योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए उनसे अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायगा । अनुबन्ध पत्र का प्रारूप जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से (उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही इसी प्रकार की एक अन्य योजना में अनुबन्ध-पत्र निर्धारित है) प्राप्त कर लिया जाए।

मुझे यह भी कहना है कि इस योजना का तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया जाय ताकि लाभार्थियों को अगली फसल का निश्चित रूप से लाभ मिल सके ।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 4120(1)/26-3-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण ।
(3) समस्त मण्डलीय उप/सहायक निदेशक, हरिज़न एवं समाज कल्याण ।
(4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उत्तर प्रदेश ।
(5) समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, बी-912 सेक्टर "सी", महानगर लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
(7) चयनित 188 विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।